आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
	वाद सं0–59/2023	
31.10.2023	अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से अपीलकर्त्ता श्री राम विकास पाठक एवं अन्य, ग्राम–लालगद व पंजरी खुर्द, प्रखण्ड–विश्रामपुर, जिला–पलामू Telephonic Conference के माध्यम से एवं शिकायतकर्त्ता श्री कामेश्वर सिंह, आयोग कार्यालय में उपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पलामू आयोग कार्यालय में अनुपस्थित।	
	इस वाद में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पलामू अनुपस्थित है। और उनका दूरभाष भी बंद है। जबकि शिकायतकर्त्ता व्यक्तिगत रूप से आयोग में उपस्थित है। शिकायतकर्त्ता राम विकास पाठक एवं अन्य जिनका नाम इस आवेदन में उल्लेखित है। उन सभी का कहना है की उन्हें माह अगस्त एवं माह अक्टूबर–2022 का प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का खाद्यान्न 130 क्विंटल एवं NFSA का माह जुलाई–2023 का 22.23 क्विंटल तीनों माह मिलाकर कर (कुल–153 क्विंटल) जनवितरण प्रणाली विक्रेता जितेन्द्र राम ला0 सं0 02/06 के द्वारा खाद्यान्न लाभुकों के बीच वितरण नहीं किया गया एवं खाद्यान्न का कालाबाजारी किया गया है।	
	आयोग जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पलामू को निर्देश देता है कि वे सभी शिकायतकर्त्ता को जिस अवधि का राशन नहीं उपलब्ध कराया गया है, उस अवधि का राशन सवा गुणा मुआवजा के साथ उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। ऐसा कर दिये जाने का प्रमाण अगली सुनवाई में प्रस्तुत करें। जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पलामू ने अगर आयोग के आज के आदेश के अनुपालन का प्रमाण आयोग को प्रस्तुत नहीं किया और व्यक्तिगत तौर पर सुनवाई में उपस्थित नहीं रहें तो आयोग जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पलामू के विरूद्ध एकपक्षीय आदेश पारित करने को बाध्य होगा।	
	मामले की अगली सुनवाई दिनांक–17.11.2023 को निर्धारित की जाती है। आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजें। दिनांक–17.11.2023 को रखें।	
	(शबनम परवीन) सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची।	
	(हिमांशु शेखर चौधरी) अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची।	
	G:\Rachana jsfc\Court order.docx12	

पता–झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड के पुराने भवन का द्वितीय तल, हरमू हाउसिंग कॉलोनी, राँची–834002
email-jharfoodcommission@gmail.com, Ph No.-0651-2252267